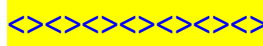
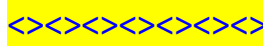




- अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में राज निवास का नाम परिवर्तित कर लोक निवास रखा गया। सरकारी कार्यों के लिए लोक निवास नाम का उपयोग किया जाएगा।
- लोक सभा में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम दो हजार पच्चीस पारित हुआ। स्वास्थ्य संरक्षण के उद्देश्य से बढ़ाया जा रहा है उत्पाद शुल्क।
- श्री विजयपुरम में वरिष्ठ उप-निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में विशेष गहन पुनरीक्षण पर बैठक आयोजित की गई। पांच दिसम्बर तक सौ प्रतिशत प्रपत्र एकत्र करने के लिए निर्देश।
- अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में दुकाने एवं प्रतिष्ठान संशोधन विनियम दो हजार पच्चीस लागू-पंजीकरण सरल होने के साथ-साथ महिला सहभागिता पर जोर।



द्वीपों के उप-राज्यपाल एडमिरल डी के जोशी ने "राज निवास" का नाम बदलकर "लोक निवास" करने की स्वीकृति प्रदान की है। यह नाम परिवर्तन सभी अधिकारी प्रयोजनों के लिये प्रभावी रहेगा। अब उपराज्यपाल सचिवालय के सभी अधिकारी पत्राचार में "राज निवास" के स्थान पर "लोक निवास" लिखा जाएगा। यह परिवर्तन अधिकारिक वेब पोर्टल, स्टेशनरी, मुहरो तथा अन्य विविध सामग्रियों, संकेत पट्टिकाओं आदि में भी लागू किया जाएगा।



लोक सभा ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, दो हजार पच्चीस पारित कर दिया है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य सेंट्रल एक्साइज एक्ट, उन्नीस सौ चवालीस में संशोधन करना है, विशेष रूप से तम्बाकू उत्पाद जैसे सिगरेट, सिगार, हुक्का तम्बाकू, चबाने वाला तम्बाकू, जर्दा और सुगंधित तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क और सेस बढ़ाना है। यह संशोधन सरकार को तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क दर बढ़ाने की वित्तीय क्षमता प्रदान करने के लिये आवश्यक है ताकि सेस समाप्त होने के बाद कर भार सुरक्षित रहे।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि यह कोई नया कानून नहीं है और न ही कोई अतिरिक्त कर है। उन्होंने कहा कि यह सेस नहीं है, बल्कि यह वह उत्पाद शुल्क है जो जीएसटी से पहले लागू था। जीएसटी लागू होने के बाद भी जुलाई दो हजार सत्रह से दो हजार चौबीस तक मुआवजा सेस की दर अपरिवर्तित रही। जीएसटी लागू होने से पहले तम्बाकू दरों को वार्षिक रूप से बढ़ाया जाता था, जिसका मुख्य कारण स्वास्थ्य सम्बन्धी चिंताएं थीं। उच्च कीमतें और कर तम्बाकू के सेवन की आदत से रोकथाम के लिये थीं। वित्तमंत्री ने कहा कि देश में सिगरेट पर कुल कर भार खुदरा मूल्य का तिरपन प्रतिशत है। मुआवजा सेस अब केंद्र में लौट रहा है और इसे उत्पाद शुल्क के रूप में वसूला जाएगा, जिसे राज्यों को इकतालीस प्रतिशत कर वितरण के रूप में पुनर्वितरित किया जाएगा।



सन्चार साथी ऐप की लगातार बढ़ती स्वीकार्यता को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मोबाइल निर्माताओं के लिये इस ऐप का पूर्व-स्थापन अनिवार्य नहीं रहेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नागरिक इस ऐप को अपनी इच्छा से कभी भी हटाने के लिये स्वतंत्र हैं तथा ऐप में उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं है। सन्चार मंत्रालय द्वारा जारी वक्तव्य में बताया गया कि अब तक एक दशमलव चार करोड़ उपयोगकर्ता इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं और प्रतिदिन लगभग दो हजार ठगी की घटनाओं की रिपोर्ट इस मंच के माध्यम से प्राप्त हो रही है। मंत्रालय ने आगे जानकारी दी कि केवल पिछले एक दिन में ही छः लाख नागरिकों ने ऐप डाउनलोड करने के लिये पंजीकरण किया है, जो इसके उपयोग में दस गुना वृद्धि को दर्शाता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि यह ऐप पूर्णतः सुरक्षित है और साइबर जगत में सक्रिय दुष्ट तत्वों से नागरिकों को बचाने के लिये ही बनाया गया है।



भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त पवन कुमार शर्मा ने कल सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारियों, ई आर ओ, ए ई आर ओ तथा अन्य चुनाव अधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण के संदर्भ में बैठक की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल कुमार ने प्रस्तुति के माध्यम से एस आई आर की प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य पर बल दिया कि “कोई पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो”। सतानब्बे दशमलव छः शून्य प्रतिशत गणना प्रपत्र डिजिटाइज किये जा चुके हैं। लगभग आठ सौ बूथ स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति के साथ राजनीतिक दल भी सहयोग दे रहे हैं।

वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त ने कल तक सौ प्रतिशत प्रपत्र एकत्र करने तथा सोलह दिसम्बर को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची के लिये प्रक्रिया पूर्ण करने पर जोर दिया। उन्होंने दो हजार दो की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाताओं के मानचित्रण प्रतिशत को बेहतर करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। बैठक के बाद उन्होंने कुछ मतदान केन्द्रों का अवलोकन किया तथा वहाँ उपस्थित बी एल ओ तथा मतदाताओं से संवाद किया।



श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद छः और सात दिसम्बर को शाम 3 बजे से रात्रि दस बजे तक मरीना पार्क के समीप स्ट्रीट फूड महोत्सव का आयोजन करेगी। इस महोत्सव का उद्देश्य द्वीपसमूह की पाक कला परम्परा तथा विविध स्वादों को प्रदर्शित करना है। महोत्सव का लक्ष्य सुरक्षित एवं स्वच्छ भोजन संस्कृति को बढ़ावा देना, स्थानीय उद्यमिता को सशक्त करना तथा समुदाय आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है।



भारत सरकार ने अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह दुकाने एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विनियम, दो हजार पच्चीस की सूचना जारी कर दी है। ये संशोधन इक्कीस नवम्बर से प्रभावी हो गया है और "ईज आफ डूइंग बिजनेस" पहल के अनुरूप सरल अनुपालन, पारदर्शिता तथा श्रमिक हित सुनिश्चित करते हैं। संशोधन के अनुसार अब जिन दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में बीस से अधिक कर्मचारी हैं, उनके लिये पंजीकरण अनिवार्य है। एक बार पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने पर वह मान्य रहेगा। रात के समय महिला कर्मचारी अब शाम सात बजे से सुबह छः बजे तक कार्य कर सकती हैं। ये संशोधन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, सेवा प्रदाताओं तथा अन्य प्रतिष्ठानों पर प्रशासनिक बोझ कम करेंगे। विस्तृत अधिसूचना श्रम विभाग के अधिकारी वेब पोर्टल पर उपलब्ध है।



एम वी स्वराज द्वीप कल सुबह दस बजे श्री विजयपुरम से विशाखापत्तनम के लिए रवाना होगा। अतिरिक्त सामान को चढ़ाने का कार्य आज दोपहर दो बजे से शाम चार बजे तक किया जाएगा। यात्रियों को जहाज पर चढ़ाने का कार्य कल सुबह आठ बजे से नौ बजे तक चलेगा। जहाज हैडो जेट्टी से छूटेगा।



आइलैन्ड महिला भारोत्तोलको ने कल त्रिस्सूर में आयोजित अस्मिता खेलो इंडिया भारोत्तोलन प्रतियोगिता में दो और पदक जीतकर द्वीपों का नाम रोशन किया। एम टी आर पृथिका ने तिरपन किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता, जबकि तन्याशा ने तिरसठ किलोग्राम जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया।



समाचार पत्रों की सुर्खियां

लोक सभा में तम्बाकू उत्पादों पर सेंट्रल एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित करने के समाचार को द डेली टेलीग्राम्स ने अपनी बड़ी खबर बनाते हुए सचित्र प्रकाशित किया है। इसके अलावा अखबार ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर समाज कल्याण निदेशालय के अभ्युदय परिसर में कार्यक्रम आयोजित करने और शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों के लिए खेलकूद और अध्ययन दौरे आयोजित करने के समाचार को भी प्रमुखता दी है। इंडो इंडिया ने सांसद के द्वीपसमूह मे आई टी निदेशालय स्थापित करने की दिशा में प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम का स्वागत करने के समाचार को, जबकि इको ऑफ इंडिया ने सांसद द्वारा सरकारी नौकरियों में आयु सीमा चालीस वर्ष निर्धारित करने के अनुरोध के समाचार को प्रमुखता से छापा है। जंगलीघाट क्षेत्र में भारी भीड़ को देखते हुए राज्य परिवहन विभाग द्वारा एटीआर एक्सप्रेस सेवाओं को वी आई पी रोड से संचालित करने के समाचार को द अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी में जगह मिली।

